



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-608

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313786 दिनांक 09/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Govind Khandelwal S/o Ramgopal Khandelwal एवं Kailash Chand Khandelwal S/o Ramgopal Khandelwal	श्री कन्हैया खण्डेलवाल पुत्र श्री जगन्नाथ खण्डेलवाल	C-65	189.06 SQ. YARD	Private	SHIV VIHAR Sector/Block-C	Name Transfer	आवेदकगण 1. श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल 2. श्री गोविन्द खण्डेलवाल पुत्रान श्री रामगोपाल खण्डेलवाल द्वारा निजी खातेदारी की योजना शिव विहार के भूखण्ड संख्या सी-65 क्षेत्रफल 189.06 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या सी-65 क्षेत्रफल 189.06 व.ग. का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 20.06.2024 को श्री कन्हैया खण्डेलवाल पुत्र श्री जगन्नाथ खण्डेलवाल के पक्ष में जारी किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या सी-65 क्षेत्रफल 189.06



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

व.ग. को श्री
कन्हैया
खण्डेलवाल पुत्र श्री
जगन्नाथ
खण्डेलवाल द्वारा
जरिये पंजीकृत
वसीयतनामा
दिनांक
28.11.2024 को
अपने भतीजे 1.
श्री कैलाश चन्द
खण्डेलवाल 2. श्री
गोविन्द
खण्डेलवाल पुत्रान
श्री रामगोपाल
खण्डेलवाल को
वसीयत किया
गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Govind Khandelwal S/o Ramgopal Khandelwal एवं Kailash Chand Khandelwal S/o Ramgopal Khandelwal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।